Hindi

घर से ख़रीदारी

इंटरनैट • मेल ऑर्डर • टेलिफ़ोन • फ़ैक्स • डिजिटल टेलिविज़न

उपभोक्ता के रूप में आपके क़ानूनी अधिकार

अगर आप सामान या सेवाओं की ख़रीदारी इंटरनैट, मेल ऑर्डर, टेलिफ़ोन, फ़ैक्स या डिजिटल टेलिविज़न द्वारा करते हैं, तो आपके कुछ नए क़ानूनी अधिकार हैं :

1. स्पष्ट जानकारी

विक्रेता को आपको क्या देना ही होगा :

- उसका नाम और अगर आप पहले से दाम अदा कर रहे हैं, तो अपना डाक वाला पता ;
- अपने सामान या सेवाओं का वर्णन ;
- दाम जिसमें सभी कर और आप तक पहुँचाने (यानी डिलिवरी) के दाम भी शामिल होने चाहिए ;
- अदायगी का प्रबन्ध ;
- पहुँचाने का प्रबन्ध ; और
- अपना ऑर्डर रद्द करने का अधिकार और यह बात कि सामान वापस करने के दाम क्या आपको अदा करने होंगे।

उसे आपको यह बताना ही होगा कि :

- यदि सेवाएँ एक अवधि के दौरान प्रदान होंगी, तो अनुबन्ध की न्यूनतम अवधि; और
- जो प्रस्तुत किया जा रहा है वह कब तक उपलब्ध रहेगा।

2. ठंडे दिमाग से सोचने की अवधि

अगर आप अपना मन बदल लेते हैं, तो क़ानून आपको इसपर सोचने और अपना ऑर्डर रद्द करने के लिए सात कार्य दिनों की अवधि प्रदान करता है।

3. आपके क्रेडिट कार्ड को धोख़ेबाज़ी से सुरक्षित रखना

अगर कोई अन्य व्यक्ति आपके पेमेंट (भुगतान करने के) कार्ड को, बेइमानी या धोख़ेबाज़ी करके, किसी भी तरह की घर से ख़रीदारी करने के कार्य के लिए इस्तेमान करता है, तो आप भुगतान रद्द कर सकते हैं और कार्ड जारी करने वाले को आपके खाते में पैसे वापस करने होंगे।

मदद कहाँ से मिलेगी

अपने अधिकारों के बारे में अधिक सलाह के लिए अपनी स्थानीय सिटिज़ंज़ एड्वाइज़ ब्यूरो या ट्रेडिंग स्टैंडर्ड्ज़ डिपार्टमेंट से सम्पर्क कीजिए। आपको उनका पता तथा टेलिफ़ोन नंबर फ़ोन बुक में मिलेगा। आप ऑफ़िस ऑफ़ फैअर ट्रेडिंग को उनके इस नम्बर पर फ़ोन कर सकते हैं : 08457 22 44 99.

अगर आप इंटरनैट का प्रयोग कर सकते हैं, तो आपको इन पतों से कम्प्यूटर पर ऑनलाइन सलाह मिल सकती है : www.adviceguide.org.uk, www.tradingstandards.gov.uk, www.oft.gov.uk या आप डी टी आई की **कंज़्यूमर गेटवे** वाली वैबसाइट देख सकते हैं जिसका पता है www.consumer.gov.uk.